Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Alwar 14.04.2017

दिनांक 14.04.2017 को पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2017 अन्तर्गत धारा 376 आई.पी.सी. एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत श्री जितेन्द्र लखेरा द्वारा दर्ज करवाई गई। उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया था कि दिनांक 14.04.2017 को रात्रि में जितेन्द्र लखेरा 03.30 बजे उठा तो उसकी 07 वर्षीय पुत्री पायल रो रही थी। जिसको उसने पूछा तो बताया कि दर्द हो रहा था, कपडे खून से सने हुए थे। वह डरी हुई थी। बच्ची ने बताया कि किसी व्यक्ति ने चाकू ले रखा था। बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था। बाद अनुसंधान प्रकरण में पवन कुमार नामक व्यक्ति को निरूद्ध किया गया, जिसकी उम्र 17 वर्ष होने से उसे प्रिंसिपल किशोर न्याय बोर्ड, अलवर में पेश किया जाकर बाल संप्रेषण गृह अलवर में जमा करवाया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 14.04.2017 को एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात् समाज को झकझोरने वाली घटना की खबर को दिनांक 15.04.2017 को समाचार–पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। समाचार–पत्रों में खबर के प्रकाशित होने के पश्चात उसी दिन दिनांक 15.04.2017 को ही तुरन्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.04.2017 को ही विधिक जागरूकता टीम के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती बालिका एवं उसके परिवारजनों के साथ संपर्क किया गया। विधिक जागरूकता टीम द्वारा राजकीय चिकित्सालय जाकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को भी प्रकरण में पीडित बालिका को उचित इलाज उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। टीम द्वारा पीडित बालिका के परिजनों को प्राधिकरण की राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के बारे में जानकारी दी गई एवं समझाया गया कि किस प्रकार उक्त स्कीम में प्रतिकर के रूप में प्राप्त राशि को बालिका के इलाज, शिक्षा, भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, यह समझाया गया। जिसमें प्रथम बार तो रोषवश पीडिता के पिता द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया गया। इसके पश्चात् पुनः प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्रीमान् हेमन्त कुमार जैन माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में दिनांक 16.04.2017 को पूर्णकालिक सचिव

Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Alwar 14.04.2017

श्री दिनेश कुमार जलुथरिया एवं विधिक जागरूकता टीम के माध्यम से पीडिता के पिता से वार्ता कर, समझाईश की गई और तत्पश्चात् तुरन्त कागजात पूर्ति कर दिनांक 18.04.2017 को पीडित बालिका को प्रतिकर दिलवाने के लिए पत्रावली तैयार करवायी गई।

दिनांक 19.04.2017 को पीडित बालिका को प्रतिकर दिलवाए जाने के संबंध में प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष, श्री हेमन्त कुमार जैन (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय) अलवर की अध्यक्षता में तत्काल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सदस्यगण श्रीमती अर्चना अग्रवाल, पारिवारिक न्यायाधीश; डॉ. राजेन्द्र सिंह चौधरी, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय; श्रीमती रूपा गुप्ता, न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. न्यायालय; डॉ. रूबीना परवीन अंसारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट; श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय; श्री मूलसिंह राणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक एवं श्री विनोद कुमार शर्मा लोक अभियोजक के साथ प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री दिनेश कुमार जलुथरिया उपस्थित रहे।

प्राधिकरण की इस तत्काल मीटिंग में घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विचार–विमर्श किया गया। 07 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार की घटना ने समाज को शर्मसार किया है। ऐसे प्रकरण में प्राधिकरण की समिति द्वारा समाचार–पत्र में खबर प्रकाशित होने के 04 दिवस के भीतर ही बालिका को अंतरिम प्रतिकर के रूप में 2,50,000 रूपए की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 1,50,000 रूपए बालिका पायल को राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके नाम एफ.डी.आर. के माध्यम से अदा किए गए तथा शेष राशि 1,00,000 रूपए की राशि का भुगतान बालिका के माता–पिता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाते में जमा किया गया। एफ.डी.आर. के त्रैमासिक ब्याज को उक्त बचत खाते में जमा करते रहने के निर्देश बैंक को प्रदान किए गए। प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के समय अंतिम प्रतिकर के संदर्भ में अनुशंषा करने पर प्राधिकरण द्वारा अंतरिम प्रतिकर राशि के संदर्भ में विचार किया जा सकेगा।

Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Alwar 14.04.2017

उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर अलवर एवं सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार पीडिता एवं उसके परिवार को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत कोई प्रतिकर नहीं दिया गया था। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर के द्वारा पीडिता को अंतरिम प्रतिकर दिलवाए जाने के संदर्भ में अनुशषा की गई थी। पीडिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी एवं उसके पिता घर पर चूडी बनाने का कार्य करते थे। प्राधिकरण द्वारा समाचार–पत्र में खबर प्रकाशित होने के 04 दिवस के भीतर ही दी गई प्रतिकर राशि से पीडिता के परिवार जनों को पीडिता के इलाज व भविष्य में शिक्षा इत्यादि के लिए आर्थिक मदद प्राप्त हुई।

****